

राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2189]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2014/आश्विन 30, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2014/ASVINA 30, 1936

No. 2189]

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2740(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भीतर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे और उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे।

> [फा. सं. यू-11013/01/2014-यूटीएल] डॉ. अवधेश कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2740(E).— In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) and the rules made thereunder, within the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. U-11013/01/2014-UTL]

Dr. A. K. SAXENA, Jt. Secy.